राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्र: एफ. 11 (2) मो0 / महानरेगा कन्वर्जेन्स / आईसीडीएस / 2015–16 14464 जयपुर, दिनांक 12-2-16

परिपत्र

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र भवनों का निर्माण सम्बन्धित जिले के उप निदेशक की अभिशंषा के आधार पर सम्बन्धित जिला परिषद् के माध्यम से कराया जाता है।

यह देखने में आया है कि आंगनबाडी केन्द्र हेतु चयनित भूमि पर पट्टे को लेकर विवाद होता है अथवा भवन की भूमि पर अतिक्रमण आदि कई स्थानीय समस्याओं का भी सामना करना पडता है, जिनका समाधान भी काफी समय तक नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आंगनबाडी केन्द्रों का समयबद्ध निर्माण नहीं हो पाता है एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

अतः आंगनबाड़ी केन्द्रों के समयबद्ध निर्माण कार्य को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल पर भूमि सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रक्षेत्र में ही निर्धारित मापदण्डो के अनुसार उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित/ चयनित स्थल के स्थान पर अन्य उपयुक्त भूमि/स्थल का चयन करके स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित/ चयनित स्थल के स्थान पर अन्य उपयुक्त भूमि/स्थल का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण यथा सम्भव उसी ग्राम /ग्राम पंचायत में हो यदि उसी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य सम्भव नहीं है तो उसी ब्लॉक/पंचायत समिति में निर्माण कार्य किया जावे।

उक्त परिपत्र निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये परिपत्र क्रमांक 51–435 दिनांक 08.02.2016 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 11 (2) मो0 / महानरेगा कन्वर्जेन्स / आईसीडीएस / 2015–16 14465-835 जयपुर, दिनांक 12-2-16

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. विशिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, मबावि, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, (पंचायती राज) ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
5. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त।
7. एसीपी कम्प्यूटर सैल को, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

संयुक्त निदेशक (मो0)
समेकित बाल विकास सेवाएँ

Letter 2016

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर
Website:-www.wcd.rajasthan.gov.in.(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2712939